निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1932 (श0)

(सं0 पटना 63) पटना, वृहस्पतिवार, 10 मार्च 2011

निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचनाएं
4 मार्च 2011

सं0 3/सी5–296/08 (खण्ड संचिका)–575—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम–II, 1915) की धारा–90 के द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार, अधिसूचना संख्या 23–137–2 दिनांक 29वीं अप्रील 1919 के अधीन निर्मित तथा बाद में समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली में निम्नांकित संशोधन करती है ;

1. नियम–105(क) के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा :–

   ''105 (ख) –देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्गमन हेतु रू0 10 (दस रुपये मात्र) प्रति एल0 पी0 एल0 की दर से, निर्गमन किये जाने वाले मात्रा पर संचरणशुल्क की वसूली के उपरांत ही आवश्यक पास निर्गत किया जा सकेगा।''

2. पर्षदीय अधिसूचना संख्या – 23–5/94–3–3818 दिनांक 30 मई 1994 के द्वारा अन्तःस्थापित नियम 106 के उप–नियम (1) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

   (i) प्रचलित कंडिका (क) की उप–कंडिका (i) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी :–

   ''106 (1) (क) (i) – अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि रू0 5,30,000 (पॉच लाख तीस हजार रूपये मात्र) प्रतिवर्ष अग्रिम रूप में भुगतेय होगा।''

   (ii) प्रचलित कंडिका (ख) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी :–

   ''106 (1) (ख) – थोक बिक्री (सेल टू ट्रेड) की अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) प्रतिवर्ष एवं वितरकता की अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 5,00,000 (पॉच लाख रूपये मात्र) प्रतिवर्ष अग्रिम रुप में भुगतेय होगी।''

3. अधिसूचना संख्या–2/23–11/90–2 दिनांक 27 अगस्त 1990 द्वारा यथासंशोधित प्रचलित नियम 106(ख) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   ''106(ख)–भारत में बनी विदेशी शराब का आयात बिहार के अंदर किसी भी स्थान में किया जा सकेगा, वशर्त्ते बिहार राज्य में रू0 8 (आठ रूपये मात्र) प्रति एल0 पी0 एल0 की दर से आयात पास शुल्क लगाया एवं वसूल लिया गया हो।''

4. अधिसूचना संख्या–268 दिनांक 7 अपील 2006 द्वारा यथासंशोधित प्रचलित नियम को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''106 (ग) – भारत निर्मित बीयर का आयात बिहार के किसी भी स्थान में किया जा सकेगा, वशर्त्ते उस पर रु0 2 (दो रुपये मात्र) प्रति बोतल (650 एम0 एल0) की दर से आयात पास शुल्क की वसूली कर ली गई हो।''

5. प्रचलित नियम 106 (ग) के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा :–
''106 (गग) – भारत निर्मित बीयर का निर्यात, राज्य से देश के अन्य राज्यों में, रु0 1 (एक रुपया मात्र) प्रति बोतल (650 एम0 एल0) की दर से निर्यात पास शुल्क की वसूली के उपरांत ही किया जा सकेगा ;
परन्तु, राज्य के अन्दर बीयर का उत्पादन करने वाली ब्रिवरी, अपने कुल मासिक उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बीयर की मात्रा का राज्य से बाहर निर्यात् नहीं करेगा।''

6. पर्षदीय अधिसूचना संख्या– 3/एस1–140–02/2003 (खण्ड)–1296 दिनांक 11 दिसम्बर 2004 द्वारा अन्तःस्थापित प्रचलित नियम–106(ड.) को विलोपित किया जाता है।

7. पर्षदीय अधिसूचना संख्या –3/स0 स्था0 वि0 उ0–1/2000–2122 दिनांक 21 अगस्त 2000 द्वारा अन्तःस्थापित प्रचलित नियम 106(छ) के बाद निम्नलिखित नियमों को अन्तःस्थापित किया जायेगा यथा :–
''106 (ज) – एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0 एन0 ए0) का आयात, बिहार के अन्दर किसी भी स्थान में किया जा सकेगा, वशर्त्ते कि रू0 8 (आठ रुपये मात्र) प्रति एल0 पी0 एल0 की दर से बिहार राज्य में आयात पास शुल्क लगाया एवं वसूल लिया गया हो।''
''106 (झ) – एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0 एन0 ए0) का निर्यात्, राज्य से, देश के अन्य राज्यों में रु0 4 (चार रुपये मात्र) प्रति एल0 पी0 एल0 की दर से बिहार राज्य में निर्यात् पास शुल्क की वसूली के उपरांत ही किया जा सकेगा।''

8. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

राजस्व पर्षद के आदेश से,
उदय सिंह कुमावत, भा0 प्र0 से0,
आयुक्त उत्पाद,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

4 मार्च 2011

संख्या–3/सी05–296/08 (खण्ड संचिका) 575—राजस्व पर्षद, बिहार की अधिसूचना संख्या 575, दिनांक 04 मार्च 2011 का अंग्रेजी में निम्नांकित अनुवाद, राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

राजस्व पर्षद के आदेश से,
उदय सिंह कुमावत, भा0 प्र0 से0,
आयुक्त उत्पाद,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

The 4th March 2011

No. 3/C5-296/08 (Part file) 575—In exercise of the powers conferred by Section-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act-II of 1915), the Board of Revenue, Bihar makes the following amendments in the Rules framed under Notification No.-23-137-2, dated 29th April 1919, as amended from time to time :-

1. The following Rule shall be inserted after the existing Rule 105A:-
"105 B- For the issuance of Country Liquor and Spiced Country Liquor the required pass may be issued on the realization of movement fee at the rate of Rs. 10 (Rupees ten only) per L.P.L. on the quantity under issue."

2. The sub-rule (1) of existing Rule 106, inserted by the Board's Notification No.-23-5/94-3-3818 dated 30th May 1994, shall be amended as follows:-
(i) The existing sub-clause (i) of clause (a) shall be substituted as follows:-
"106 (1) (a) (i)-The licence fee of Rs 5,30,000 (Rupees five lakhs thirty thousand only) per annum shall be payable in advance."
(ii) The existing clause (b) shall be substituted as follows:-
"106 (1) (b) -The licence fee for sale to trade shall be Rs 1,50,000 (Rupees one lakhs fifty thousand only) per annum and the licence fee for distributionship shall be Rs 5,00,000 (Rupees five lakhs only) per annum payable in advance."

3. The existing Rule 106 B as amended by Notification no. 2/23 - 11/90 - 2 dated 27th August 1990 shall be substituted as follows:-

"106 B-India made foreign liquor may be imported in any place of Bihar, provided that an import pass fee at the rate of Rs 8/- (Rupees eight only) per L.P.L. has been levied and realised in the State of Bihar."

4. The existing rule 106C as amended by Notification no.-268 dated 07th April 2006 shall be substituted as follows:-

"106 C-India made beer may be imported in any place of Bihar, provided that, an import pass fee at the rate of Rs 2 (Rupees two only) per bottle (650 ml) has been levied and realised in the State of Bihar."

5. After the existing Rule 106C the following Rule shall be inserted, namely:-

"106CC-India made beer may be imported from the State to other States of the country after realisation of export pass fee at the rate of Rs 1 (Rupees one only) per bottle (650 ml) .

Provided that the brewery in the State shall not export more than 50% (fifty percent) of the beer produced by it in a month.

6. The existing Rule 106E inserted by Board's Notification no.-3/S1-140-02/2003 (Part) -1296 dated 11th December 2004 shall be omitted.

7. After the existing Rule 106F, inserted by Board's Notification No. 3/S/EST/DEP/EX-1/2000-2122 dated 21st August 2000, the following Rules shall be inserted, namely:-

"106G- Extra neutral Alcohol (E.N.A.) may be imported in any place of Bihar, Provided that an import pass fee at the rate of Rs 8/- (Rupees eight only) per L.P.L. has been levied and reallised in the State of Bihar."

"106H- Extra Neutral Alcohol (E.N.A.) may be exported from the State to other States in the country after realisation of an export pass fee in the state of Bihar at the rate of Rs 4/- (Rupees four only) per L.P.L.."

8. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order of the Board of Revenue,
UDAY SINGH KUMAWAT, I.A.S.,
Excise Commissioner,
Registration, Excise & Prohibition Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in